

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदोसर जिला चित्तौडगढ राज0  
पोतारोहन अधिकारी- श्री मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-72/2018

दिनांक 16-01-2019

अनवान

1. रणसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर

.....वादी

II बनाम II

1. भंवरसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
2. सज्जनसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
3. हरिसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
4. कैलाशसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
5. गोपालसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
6. विष्णुकुंवर पुत्री पिता मनोहरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर हा0मु0साण तहसील मन्दसौर
7. मदनकुंवर पिता मनोहरसिंह राजपूत वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
8. शंकर पिता तुलसा मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
9. रूपा पिता तुलसा मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
10. उदा पिता तुलसा मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
11. सोहन पिता तुलसा मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
12. मांगू पिता तुलसा मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
13. कालू पिता मिठू मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
14. भेरू पिता मिठू मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
15. भगवान पिता दल्ला मेतर वयस्क निवासी भालुण्डी तहसील भदोसर
16. बैंक मैनेजर एसबीआई शाखा भदोसर
17. बैंक मैनेजर चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 भदोसर
18. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदोसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 रा0 का0 अधि0 1955

उपरिथत-श्री औंकारलाल रायका वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारि अधिनियम 1955 की धारा 53,188, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया - कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातोदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भालुण्डी पटवार हल्का भालुण्डी की खाता संख्या 100 की आराजी नम्बर 192, 194, 195, 196, 197, 198, 276, 277, 278, 279 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 3.3100 हैक्टैयर भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा एवं खाता संख्या 99 की आराजी नम्बर 191, 193 कित्ता-2 कुल रकबा 0.12 हैक्टैयर भूमि में वादी का 1/10 हिस्सा होकर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। मगर खाता शामलाती होने से व बंटवाडा नही होने से फसल बोने से लेकर अवेरने तक विवाद होता रहता है। अतः माफिक हिस्सा बंटवारा कराया जावे ।


प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बाद कार्यवाही दिनांक 7-05-2018 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा भदोसर की तहसील आराजीयात का



विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदोसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । आदेश की पालना में तहसीलदार भदोसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रणसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत नि० भालुण्डी के हिस्से में रहेगी	192/2 194/2 195/2 278/2 279/2	0.04 0.19 0.10 0.07 0.26	0.84 5.13 1.40 0.98 0.26
	योग	किता-5	0.66	8.61
2	भंवरसिंह , सज्जनसिंह , हरिसिंह पि० समन्दसिंह 3/4 कैलाशसिंह गोपालसिंह पि० मनोहरसिंह विष्णुकुंवर दु. मनोहरसिंह मदनकुंवर पत्नी स्व. मनोहरसिंह 1/4 राजपूत के हिस्से में रहेगी	192/! 194/1 195/1 278/1 279/1 192मी 194मी 195मी 278मी 279मी 196 197 198 276 277	0.04 0.19 0.10 0.07 0.26 0.08 0.17 0.06 0.06 0.14 0.23 0.42 0.07 0.62 0.14	0.84 5.13 1.40 0.98 0.26 1.68 4.59 0.84 0.84 0.14 3.22 15.12 0.98 0.62 1.96
	योग	किता-15	2.65	38.60
3	बदस्तूर शामलाती रहेगी	191 193	0.07 0.05	0.98 आ.चा
	योग	किता-2	0.12	0.98

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

  
 (महिलाल रंगर)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भदोसर